

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-307/17 श्र0सं0-

17

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
रोहतास/ समस्तीपुर/बक्सर ।

पटना, दिनांक :-

27.5.17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- 26-2230017890103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2954 दिनांक-23.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष- 2017-18 में 31 मार्च 2018 तक व्यय के निमित्त " बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1.	रोहतास	01	0103.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, रोहतास का पत्रांक-177, दिनांक-15.04.2017 के आलोक में (1) मृतक-स्व० धर्मेन्द्र कुमार, आश्रित- रूकमणि देवी (कुवर) (पत्नी) ग्राम-बारह पत्थर, प्रखण्ड-डिहरी, जिला-रोहतास के भुगतान के लिए ।
9	समस्तीपुर	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर का ज्ञापांक-369 दिनांक- 11.04.2017 के आलोक में (1) मृतक-स्व० पूरन पासवान, आश्रित-मुन्नी देवी (पत्नी), ग्राम+पो0-आलमपुर, थाना+प्रखण्ड-विभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर के भुगतान के लिए ।
10	बक्सर	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, बक्सर का पत्रांक-256, दिनांक-21.04.2017 के आलोक में (1) मृतक-स्व० संतोष पासवान, आश्रित-सिद्धनाथ पासवान (पिता) ग्राम-धरहारा, पोस्ट-टुड़ीगंज, थाना-कृष्णाब्रहम, प्रखण्ड-डुमराँव, जिला-बक्सर के भुगतान के लिए
	कुल	03		300000/- (तीन लाख)	

कुल आवंटित राशि रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय । भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फ़ैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय ।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि. दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा ।
7. आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांश नहीं किया गया हो ।
8. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,
27/05/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-307/17 श्र0सं0- 17 पटना, दिनांक 27-5-17
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

27/05/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-307/17 श्र0सं0- 17 पटना, दिनांक- 27-5-17
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-1 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.स.प्रे.सं.-147 (श्रम पक्ष) दिनांक-24.5.17 के आलोक में/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

27/05/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-307/17 श्र0सं0- 17 पटना, दिनांक 27-5-17
प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

27/05/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

*स्पीड पोस्ट